



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/ फाल्गुन 15, 1940

No. 89]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 18 सितम्बर, 2018

“भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2018”

मासंड सं. L001127473 / स्टाफ.सा.(2) .—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) (जिन्हें एतदपश्चात् ‘मूल विनियम’ के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा) विनियम, 2001 में एतद्वारा निम्नवत् संशोधन करता है।

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2018 कहा जाएगा।
2. ये विनियम फरवरी 01, 2018 से प्रभावी होंगे।
3. मूल विनियमों के विनियम 34 के उप-विनियम (1) में, “दो वर्ष की अवधि” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष की अवधि” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[विज्ञापन—III/4/असा./565/18]

एस.एन.सिंह, मुख्य महाप्रबंधक

यह प्रमाणित किया जाता है कि नई दिल्ली में 27 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियम, 2018 को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया था।

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**NOTIFICATION****Lucknow, the 18th September 2018****“Small Industries Development Bank of India(Staff) [Amendment] Regulations, 2018”**

HRV No. L001127473/Staff. Gen. (2).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulations, 2001(hereinafter referred to as Original Regulations), namely:-

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2018.
2. These Amendments shall come into force with effect from February 01, 2018.
3. In Sub-Regulation (1) of Regulation 34 of the Original Regulations for the words “period of two years”, the words “period of one year” shall be substituted.

[ADVT.-III/4/Exty./565/18]

S.N. SINGH, Chief General Manager

Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India in its meeting held on March 27, 2017 at New Delhi had approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2018.